समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
e-mail:mmuzaffarpur.bih@nic.in

****

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2017 को सम्पन्न इंटरमीडिएड परीक्षा, 2017 की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

---

1. उपस्थिति :

(i) जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।
(ii) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर ।
(iii) जिला नजारत उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर ।
(iv) वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर ।
(v) जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।
(vi) जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।
(vii) जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुज. ।
(viii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, मुजफ्फरपुर ।

2. सर्वप्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 के आयोजन से संबंधित विभाग से प्राप्त सभी पत्र/परिपत्र/अनुदेश आदि का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि विभागीय पत्र की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए । यह भी निदेश दिया गया कि विभागीय निदेशानुसार परीक्षा की तैयारियों से संबंधित चेकलिस्ट तैयार कर तदनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 के सफल आयोजन हेतु चयनित सभी परीक्षा केन्द्रों का पदाधिकारियों की टीम बनाकर भौतिक रूप से सत्यापन करा लिया जाए । भौतिक सत्यापन में संबंधित केन्द्र पर सम्बद्ध विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध संसाधन यथा बैंच, डेस्क के अलावा शौचालय, चापाकल एवं सभी प्रकार के मूलभूत सुविधाओं की अद्यतन स्थिति का भी आकलन कराते हुए प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए एवं तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध बेंच, डेस्क या अन्य उपस्कर से अधिक विद्यार्थियों की सम्बद्धता है तो उसके लिए अतिरिक्त उपस्कर की पूर्व में व्यवस्था करा ली जाए ।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर सम्बद्ध विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कमरा उपलब्ध नहीं है तो वैसे केन्द्रों पर बरामदे में अथवा खुले मैदान में

टेंट/शामियाना आदि लगाकर विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी । इस हेतु केन्द्राधीक्षकों के माध्यम से सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करा ली जाए ।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ सफल आयोजन हेतु केन्द्रों पर विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था विभागीय मानक के अनुरूप करायी जाए । तीन फीट के डेस्ट/बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बैठाया जाए तथा 6 फीट तक के बैंच पर अधिकतम दो विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था कराना उचित होगा । इस हेतु विधिवत सीटिंग प्लान भी तैयार करा ली जाए एवं सभी केन्द्राधीक्षकों को भी इसकी समुचित जानकारी उपलब्ध करा दी जाए ।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी केन्द्रों के दरवाजे एवं खिड़कियों की मजबूती का सत्यापन कर लिया जाए । यदि दरवावजा अथवा खिड़की कमजोर या क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो केन्द्राधीक्षकों के माध्यम से उसकी शीघ्र मरम्मती करा दी जाए ।

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षित एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग निश्चित रूप से करवा दी जाए । किसी भी परीक्षा केन्द्र पर 500 गज के अन्दर विद्यार्थियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे इसकी भी व्यवस्था करा ली जाए । इस संबंध में सभी केन्द्राधीक्षकों को भी आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दी जाए ।

9. सभी परीक्षा केन्द्रों के बरामदे पर पानी पीने हेतु बाल्टी, जग एवं ग्लास की व्यवस्था करा दिये जाने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया ।

10. जिला शिक्षा पदाधिकारी को को निदेश दिया गया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर शौचालयों की साफ–सफाई करा दी जाए ।

11. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए । जिन परीक्षा केन्द्रों पर प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जेनरेटर की आवश्यकता हो तो उसे भी केन्द्राधीक्षकों के माध्यम करा लिया जाए ।

12. जिला नजारत उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0भी0 कैमरे के अधिष्ठापन एवं परीक्षा संचालन की वीडियोग्राफी हेतु वीडियो कैमरे तथा वीडियोग्राफर आदि का आकलन करते हुए इसे सुनिश्चित करायें । सी0सी0टी0भी0 का अधिष्ठापन परीक्षा की तिथि के एक दिन पूर्व की कराना अनिवार्य होगा । इस हेतु केन्द्राधीक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों से समन्वय स्थापित करते हुए अपुनालन करायें ।

14. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मीडिया कर्मियों के साथ बैठक कर परीक्षा संचालन हेतु विभागीय निदेशों के बारे में ब्रीफ कर दिया जाए । उन्हें यह बता दिया जाएगा कि किसी भी परीक्षा केन्द्रों के भीतर मीडिया कवरेज करने की अनुमति नहीं रहेगी । वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला गोपनीय प्रशाखा को निदेश दिया गया कि इसकी जानकारी सभी केन्द्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाए । जिला शिक्षा

पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय पदाधिकारी जो परीक्षा के दिन केन्द्र भ्रमण हेतु आयेंगे उन्हें भी यह जानकारी दे दी जाए ।

15. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक तथ्यों एवं जानकारियाँ की प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर उसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया जाए । साथ ही इस प्रकार की सूचना सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रदर्शित करा दिया जाए ।

16. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक उदघोषणा हेतु लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए ।

17. अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि परीक्षा की तिथि को केन्द्रवार धारा 144 लगाने की कार्रवाई करेंगे ।

18. जिला शिक्षा पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा एवं अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी को निदेश दिया गया कि संवेदनशील, अतिसंवेदनशील, वलनेरेवल, डाउटफुल की श्रेणी मे परीक्षा केन्द्रों का आकलन कर लिया जाए एवं तदनुसार पुलिस बलों एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायी जाए ।

19. निदेश दिया गया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों के Frisking के लिए समुचित व्यवस्था हेतु आवश्यक संख्या में पुरूष एवं महिला पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए ।

20. निदेश दिया गया कि सुपर जोनल, जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के क्रम में सभी सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का दैनिक रूप से भ्रमण करने हेतु उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए । साथ ही वे विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे ।

21. निदेश दिया गया कि गश्ती दंडाधिकारी समय पर प्रश्न पत्र एवं कॉपी संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचायेंगे इसकी व्यवस्था करा ली जाए ।

22. परीक्षा के दिन वरीय पदाधिकारी यथा अनुडलाधिकारी एवं पुलिस अनुमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से सभी परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करेंगे एवं शांतिपूर्ण तथा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

23. निदेश दिया गया कि सभी थानाध्यक्ष भी परीक्षा के दिन अपने–अपने थानाक्षेत्र में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहेंगे । इसकी व्यवस्था कराने हेतु अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया ।

24. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि परीक्षा केन्द्रों एवं परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में वीक्षकों को चिन्हित करते हुए शीघ्र उनका प्रशिक्षण करा दिया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि आवश्यक संख्या से 20 प्रतिशत अधिक वीक्षक सुरक्षित रखा जाए । वीक्षकों को बता दिया जाए कि परीक्षा की तिथि को समय से पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर जाकर कमरे एवं बरामदे की साफ–सफाई करा देंगे एवं स्वंय संतुष्ट हो लेंगे । इसके अलावा जब विद्यार्थी कमरे में अपने–अपने निर्धारित सीट पर बैठ जायेंगे तब संबंधित वीक्षक सभी विद्यार्थियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लेंगे । परीक्षा अवधि में यदि प्रकार की कदाचार पाये जाने पर संबंधित वीक्षक को भी जवाबदेह मानते हुए कार्रवाई की जाएगी ।

25. निदेश दिया गया कि परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक डिवाइस यथा मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का प्रवेश पूर्णरूप से वर्जित रहेगा इसे सुनिश्चित करायें ।

26. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से वीक्षकों की सूची प्राप्त करते हुए ससमय रेण्डमाईजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे ।

27. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा अवधि में बड़े–बड़े एवं महत्वपूर्ण परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार मोवाइल मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे ।

28. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि परीक्षा अवधि में विधि–व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करेंगे ।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0/–

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक – 708 /**गो., दिनांक** 03/02/17

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुज0/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर/जिला नजारत उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

08